मु० नम्बर.....किस्म.....

.....उनवान.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौ

दिनांक	फर्द अहकाम
26 4/24	पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण में वादी व वादी वकील को बार-बार अवाज दिलवाई गयी। आवाज दिलवाने के बावजूद वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि वादी व वादी वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः मु० नं० 10/17 दीवा रामविलास विरुद्ध अयम्म धनश्री व अन्य वैधी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कमल कुमार रिडर नम्बर 1 में रखी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:17:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner